

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर।

संख्या— ०८ /स्थायी लोक अदालत

दिनांक 19.01.2026

साक्षात्कार पत्र

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी के अन्तर्गत गठित स्थायी लोक अदालत के सदस्य पद के रिक्त 01 पद हेतु रु0 2000/— प्रति बैठक एवं रु0 5000/— प्रतिमाह मार्गव्यय के मानदय पर पॉच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो कि अवधि के लिए चयन हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा दिनांक 16.09.2025 को जारी विज्ञप्ति के अनुपालन में प्राप्त आवेदन पत्रों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है।

उक्त के अनुक्रम में उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 115/एसएलएसए-49/2016 (हैदर) दिनांक जनवरी 13, 2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि स्थायी लोक अदालत, गोरखपुर के सदस्य पद के रिक्त 01 पद हेतु समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 29.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे से किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि स्थायी लोक अदालत के रिक्त 01 सदस्य पद हेतु आयोजित साक्षात्कार में दिनांक 29.01.2026 को अपने मूल प्रपत्रों के साथ प्रत्येक दशा में प्रातः 10.00 बजे तक अपनी उपस्थिति 24 कक्षीय बिल्डिंग में सप्तम तल पर स्थापित मीटिंग हाल, दीवानी न्यायालय परिसर, गोरखपुर में सुनिश्चित करें। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों का पृथक से साक्षात्कार नहीं किया जायेगा।

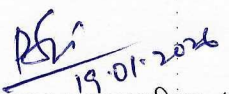
दिनांक— 19.01.2026

अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गोरखपुर।

प्रतिलिपि:—

- 1— माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर को अवलोकनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2— श्रीमान् अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, गोरखपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3— नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को सूचना की प्रति माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायालय, गोरखपुर के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 4— जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि सूचना की प्रति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाकर पेपर कटिंग आवश्यक रूप से कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर में उपलब्ध कराये।
- 5— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 6— केन्द्रीय नाजिर, नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय, गोरखपुर को सूचना की प्रति जनपद न्यायालय, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
- 7— केन्द्रीय नाजिर, कलेक्ट्रेट को सूचना की प्रति कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
- 8— अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, गोरखपुर को सूचना की प्रति बार एसोसिएशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
- 9— समस्त अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र पर अंकित दूरभाष/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाये।

दिनांक:— 19.01.2026


19.01.2026
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
गोरखपुर।